Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 167-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019 (ASVINA 9, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अक्तूबर, 2019

संख्या 87/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप–धारा (1), धारा 11 की उप–धारा (1), धारा 15 की उप–धारा (5), धारा 16 की उप–धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में,–

(i) क्रम संख्या 7 के सामने,–

क. खाना (3), (4) और (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(i) "होटल आवास" का प्रदाय, जिसमें प्रति इकाई आवास के प्रदाय का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक किन्तु सात हजार पांच सौ रुपए से कम या उसके बराबर तक प्रति इकाई प्रतिदिन या समतुल्य हो।	6	–
(ii) "विशिष्ट परिसरों" से भिन्न परिसरों में "रेस्तरां सेवा" का प्रदाय	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त मालों और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स के क्रेडिट को न लिया गया हो। [कृपया व्याख्या संख्या (iv) निर्दिष्ट करें]

(iii) भारतीय रेलवे या भारतीय रेलवे कैटरिंग तथा पयर्टन निगम लिमिटेड या उनके अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किसी माल, जो भोज्य प्रदार्थ या मानव द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तुओं या कोई पेय का प्रदाय, चाहे वह रेलगाड़ी में अथवा प्लेटफार्म पर की जाती हो ।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त मालों और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स के क्रेडिट को न लिया गया हो। [कृपया व्याख्या संख्या (iv) निर्दिष्ट करें]
(iv) ''विशिष्ट परिसरों" से भिन्न परिसरों में "आऊटडोर कैटरिंग" का प्रदाय जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो निम्न से भिन्न हो : (क) "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" देने वाले प्रदायकर्ता, या (ख) "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित प्रदायकर्ता।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त मालों और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स के क्रेडिट को न लिया गया हो। [कृपया व्याख्या संख्या (iv) निर्दिष्ट करें]
(v) ''विशिष्ट परिसरों" से भिन्न परिसरों में, परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेंशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो किसी समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ–साथ "आऊटडोर कैटरिंग" की ऐसे व्यक्ति द्वारा संयुक्त प्रदाय जो निम्न से भिन्न हो : (क) "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" देने वाले प्रदायकर्ता, या (ख) "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित प्रदायकर्ता।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त मालों और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स के क्रेडिट को न लिया गया हो। [कृपया व्याख्या संख्या (iv) निर्दिष्ट करें]
(vi) उपर्युक्तत (i) से (v) से भिन्न आवास, खाद्य और पेय सेवाएं व्याख्याः (क) संदेह के निवारण के लिए, इसके द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि खाना (3) में, मद (ii), (iii), (iv) और (v) में शामिल प्रदायों पर खाना (5) में उसके सामने विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए खाना (4) के सामने विहित राज्य दर लगाया जाएगा जो अनिवार्य होगा और इसे प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट दर से उदगृहीत नहीं किया जाएगा। (ख) इस प्रविष्टि में "विशिष्ट परिसरों" में "रेस्तरां सेवाओं" का प्रदाय भी शामिल हैं । (ग) इस प्रविष्टि में "होटल आवास" जिसके प्रति इकाई आवास का प्रदाय का मूल्य सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रति दिन से अधिक या समतुल्य हो भी शामिल हैं । (घ) इस प्रविष्टि में "आऊटडोर कैटरिंग" जो ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो "विशिष्ट परिसरों" में "होटल की सुविधा" प्रदान करते हों या ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो 'विशिष्ट परिसरों' में अवस्थित हों, भी शामिल हैं ।	9	–'';

(ड.) इस प्रविष्टि में ऐसे प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गये परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेंशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ–साथ "आऊटडोर कैटरिंग" का संयुक्त प्रदाय भी शामिल है जो "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" प्रदान करते हैं अथवा "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित हों ।		

(ख) क्रम संख्या 10 के सामने,–

(i) खाना (2) में, "परिवहन यानों" शब्दों से पूर्व, "प्रचालकों सहित" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खाना (3) में, मद (iii) में, "या के बिना" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 15 के सामने, खाना (3) में, –

(i) मद (iv) और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) मद (vii) में, ",(iv)" कोष्ठक और शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 17 के सामने,–

(i) खाना (2) में, ",सहित या उसके" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) खाना (3) में, मद (v) और (vii) और खाना (4) और (5) और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(iii) खाना (3) में, मद (viii) और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)
(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (vi), और (viiक) से भिन्न प्रचालक के बिना पट्टा या भाटक सेवाएं I"

(ङ) क्रम संख्या 21 के सामने,–

(i) खाना (3) में, मद (i) और खाना (3), (4) और (5) में उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(iक) अन्य पेशेवर, तकनीकी और कारबार सेवाएं जो कच्चे पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग से संबंधित है"	6	–",

(ii) खाना (3) में, मद (ii) में, "पूर्वोक्त (i)" शब्द और कोष्ठक के स्थान पर, "पूर्वोक्त (i) और (iक)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(च) क्रम संख्या 24 के सामने,–

(i) खाना (2) में, "9986" अंकों के पश्चात्, "(कृषि, शिकार, वानिकी, मछलीपालन, खनन और उपयोगिता सहायक सेवाएं)" कोष्ठक, शब्द और चिह्न रखे जाएंगे;

(ii) खाना (3) में, मद (ii) में, "की सेवा" शब्द के स्थान पर, "को सहायक सेवाएं" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(छ) क्रम संख्या 26 के सामने, खाना (3) में, –

(i) मद (i) में, खण्ड (ग) में "उत्पाद" शब्द के पश्चात्, ",हीरे से भिन्न" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) मद (iक) और खाना (3), (4) और (5) में उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(iख) सेवाएं जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधीनियम 51) की प्रथम अनुसूची मे अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरे से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	0.75	–
(iग) सेवाएं जो बस बॉडी निर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	9	–
(iघ) सेवाएं जो उपर्युक्त (i), (iक), (iख) और (iग) से भिन्न जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	6	–",

(iii) मद (iv) में, "(क)", कोष्ठक, शब्द और अंक के पश्चात्, निम्नलिखित कोष्ठक, शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(ख), (ग), (घ)";

(i) पैराग्राफ 2क में, "पंजीकृत" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) व्याख्या में, पैराग्राफ 4 में, खण्ड (xxxi) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

(xxxii) "रेस्ततरां सेवा" से अभिप्राय है, किसी सेवा या माल, जो भोज्य प्रदार्थ या मानव द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु या कोई पेय हो के या उसके हिस्से का प्रदाय जो किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंट जिसमें मैस, कैंटीन भी आती हैं, के द्वारा प्रदान की गई हो, चाहे यह उसी परिसर में ग्रहण करने के लिए या उससे दूर ग्रहण करने के लिए की गई हो जहां ऐसे भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली अन्य वस्तु या पेय प्रदार्थ का प्रदाय किया गया हो।

(xxxiii) "आउटडोर कैटरिंग" के प्रदाय से अभिप्राय है, किसी सेवाया उसके हिस्से का या किसी वस्तु जो भोज्य प्रदार्थ हो या मानव द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु हो या पेय हो का प्रदाय जो किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल या अन्य आउटडोर या इनडोर समारोह में किया गया हो, जो समारोह आधारित हैं और अवसर विशेष पर होते हैं।

(xxxiv) "होटल आवास" से अभिप्राय है, होटलों, इन्स, गेस्ट हाऊसों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों जिनका प्रयोग आवास या ठहरने के लिए होता है, में आवास देकर किया जाने वाला प्रदाय जिसमें आवास के माध्यम से टाईम शेयर यूसेज राइट्स का प्रदाय भी आता है।

(xxxv) "घोषित टैरिफ" से अभिप्राय है, किसी आवास इकाई में (ठहरने के लिए किराए पर दी गई) जैसे फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या किन्ही अन्य सुविधाओं, जैसी सभी सुविधाओं पर लगाए जाने वाले प्रभार से है, लेकिन ऐसी इकाइयों के लिए प्रकाशित प्रभार पर दी जाने वाली किसी भी छूट को इसमें से अलग नहीं किया जाता है।

(xxxvi) 'विशिष्ट परिसर' से अभिप्राय है, ऐसे परिसरों जो ऐसे "होटल आवास" की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो।

(iii) इस अधिसूचना से संलग्न "सारणी सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम" में ,–

क. क्रम संख्या 119 से 124 के सामने, खाना (4) में, "सहित या रहित" शब्द जहां कहीं भी आएं के स्थान पर, "सहित" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ख. क्रम संख्या 232 से 240 के सामने, खाना (4) में, "के साथ या उसके बिना" शब्द जहां कहीं भी आएं के स्थान पर, "के बिना" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

2. यह अधिसूचना दिनांक प्रथम अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2019

No. 87/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

(1) in the Table, -

(a) against serial number 7, under columns (3), (4) and (5), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely, -

(3)	(4)	(5)
"(i) Supply of 'hotel accommodation' having value of supply of a unit of accommodation above one thousand rupees but less than or equal to seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.	6	-
(ii) Supply of 'restaurant service' other than at 'specified premises'	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]
(iii) Supply of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]
(iv) Supply of 'outdoor catering', at premises other than 'specified premises' provided by any person other than- (a) suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or (b) supplierslocated in 'specified premises'.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation No.*(iv)]
(v) Composite supply of 'outdoor catering' together with renting of premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) at premises other than 'specified premises' provided by any person other than- (a) suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or (b) suppliers located in 'specified premises'.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation No.*(iv)]
(vi) Accommodation, food and beverage services other than (i) to (v) above Explanation: (a) For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by items (ii), (iii), (iv) and (v)in column (3) shall attract central tax prescribed against them in column (4)	9	-";

subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate as specified under this entry. (b) This entry covers supply of 'restaurant service' at 'specified premises' (c) This entry covers supply of 'hotel accommodation' having value of supply of a unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent. (d) This entry covers supply of 'outdoor catering', provided by suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or suppliers located in 'specified premises'. (e)This entry covers composite supply of 'outdoor catering' together with renting of premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) provided by suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or suppliers located in 'specified premises'.		

(b) against serial number 10,-

(i) under column (2), after the word "vehicles", the words "with operators" shall be added;

(ii) under column (3), in item (iii), the words "or without" shall be omitted;

(c) against serial number 15-

(i) under column (3), (4) and (5), item (iv) and entries thereagainst shall be omitted;

(ii) under column (3), in item (vii), the brackets and words ", (iv)" shall be omitted;

(d) against serial number 17,-

(i) under column (2), the sign and words ", with or" shall be omitted;

(ii) under column (3), (4) and (5), item (v) and (vii) and entries thereagainst shall be omitted;

(iii) under column (3), for item (viii), the following shall be substituted;

(3)
"(viii) Leasing or rental services, without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (vi), and (viia) above."

(e) against serial number 21,-

(i) under column (3), (4) and (5), after item (i) the following item shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Other professional, technical and business services relating to exploration, mining or drilling of petroleum crude or natural gas or both	6	-";

(ii) under column (3), in item (ii), for the words and brackets "(i) above", the words and brackets "(i) and (ia) above" shall be substituted;

(f) against serial number 24,-

(i) under column (2), after the numbers "9986", the words and figures "(Support services to agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and utilities)" shall be added;

(ii) under column (3), in item (ii), for the words "Service of", the words "Support services to" shall be substituted;

(g) against serial number 26,-

(i) under column (3), in item (i), in clause (c), after the words "products", the signs and words ", other than diamonds," shall be inserted;

(ii) under column (3), (4) and (5), after item (ia), the following items shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ib) Services by way of job work in relation to diamonds falling under chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);	0.75	-
(ic) Services by way of job work in relation to bus body building;	9	-
(id) Services by way of job work other than (i), (ia), (ib) and (ic) above;	6	-";

(iii) under column (3), in item (iv), after the brackets, words and figures "(ia),", the following brackets, figures and words shall be inserted, namely:-

"(ib), (ic), (id),";

2) in paragraph 2A, the word "registered" shall be omitted;

3) in paragraph 4 relating to explanation, after clause (xxxi), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(xxxii) 'Restaurant service' means supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied.

(xxxiii) 'Outdoor catering' means supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, at Exhibition Halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other outdoor or indoor functions that are event based and occasional in nature.

(xxxiv) 'Hotel accommodation' means supply, by way of accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes including the supply of time share usage rights by way of accommodation.

(xxxv) 'Declared tariff' means charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.

(xxxvi) 'Specified premises' means premises providing 'hotel accommodation' services having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.".

4. in the 'Annexure: Scheme of Classification of Services', annexed to the notification, -

(a) against serial number 119 to 124, in column (4), for the words "with or without", wherever occurring, the word "with" shall be substituted;

(b) against serial number 232 to 240, in column (4), for the words "with or without", wherever occurring, the word "without" shall be substituted;

5. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

57403—C.S.—H.G.P.,Chd.